रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 1989/अग्रहायण 22, 1911
No. 629] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 1989/AGRAHAYANA 22, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1989

सा. का. नि. 1046(अ) ––केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् ––

1 (1) इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 1989 है।

(2) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय ये नियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा), में नियम 3 के परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 1986 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा, अर्थात् ––

"परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की स्थिति में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा-निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है या जो पेंशन और या उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा-निवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन अथवा सेवा उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय का किसी अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति फायदे, यदि कोई हो, की कुल रकम कम कर दी जाएगी, परन्तु इनमें से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले सेवा-निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन कम नहीं की जाएगी।"

3 उक्त नियमों के नियम 6 में,––

(1) उप-नियम (1) के खण्ड (i) में "या उसका कोई भाग" ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

(2) उप-नियम (3) में "180" संख्या के स्थान पर "240" संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी।

4. उक्त नियमों के नियम 8 के उप नियम (2) में, "या उसका कोई भाग" ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 15 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"15-क, उक्त नियमों के नियम 4 से 15 तक किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष की सेवा शर्तें तथा उन्हें उपलब्ध अन्य परिलब्धियां वही होंगी जो कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियमावली, 1956 में उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों को अनुज्ञेय है।"

[संख्या क-12018/2(i) 89-प्रशा अधि]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना का भविष्यलक्षी प्रभाव होगा और इसका हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में पहले से ही कार्यरत किसी अध्यक्ष, और सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी :—ये मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त, 1986 की सा. का. नि. संख्या 1015 (ई) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th December, 1989

G.S.R. 1046(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Himachal Predesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1.(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 1989.

(2) Save as otherwise expressly provided they shall come into force on the date of their publication in the Official Gaette.

2. In the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowanecs and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), for the proviso to rule 3, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the Ist day of June, 1988, namely :—

"Provided that in the case of an appointment as a Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension equivalent of service gratuity or employer's contribution to Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him".

3. In rule 6 of the said rules, —

(1) in clause (i) of sub-rule (1), the words "or a part thereof" shall be omitted;

(2) in sub-rule (3), for the figures "180", the figures "240" shall be substituted.

4. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (2), the words "or a part thereof" shall be omitted.

5. After rule 15 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"15A. Notwithstanding anything contained in rules 4 to 15 of the said rules, the conditions of service and other perquisites available to the Chairman of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and High Court Judge (Travelling Allowances) Rules, 1956."

[No. A-12018|2(i)|89-AT]

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1986.

2. It is certified that this notification would have prospective effect and would not affect any Chairman, and Members of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal already in position.

Footnote :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 1015(E) dt. the 22-8-86 in the Gazette of India.

सा. का. नि. 1047(अ).—केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1988 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 1989 है।

(2) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय ये नियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1988 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा), में नियम, 3 के परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और जून, 1988 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की स्थिति में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा-निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है या जो पेंशन और या उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा-निवृत्ति फ़ायदे या अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन अथवा सेवा उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति फ़ायदे, यदि कोई हो, की कुल रकम कम कर दी जाएगी, परन्तु इनमें से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले सेवा-निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन कम नहीं की जाएगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 6 में,—

(1) उप नियम (1) के खण्ड (i) में "या उसका कोई भाग" ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

(2) उप नियम (3) में "180" संख्या के स्थान पर "240" संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी।

4. उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (2) में, "या उसका कोई भाग" ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 15 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"15-क, उक्त नियमों के नियम 4 से 15 तक किसी बात के होते हुए भी तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवा शर्तें तथा उन्हें उपलब्ध अन्य परिलब्धियां वही होंगी जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियमावली, 1956 में उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों को अनुज्ञेय है।"

[सं. क-12018/2(ii)/89 प्रशा. अधि.]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 19 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव होगा और इससे तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण में पहले से ही कार्यरत किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी :—ये मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 29 जून, 1988 का सा. का. नि. सं. 756(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

G.S.R. 1047(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988; namely:—

1. (1) These rules may be called the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1989.

(2) Save as otherwise expressly provided they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988 (hereinafter referred to as the said rules), for the proviso to rule 3, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of June, 1988, namely :—

"Provided that in the case of an appointment as a Chairman, Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension equivalent of service gratuity or employer's contribution to Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him".

3. In rule 6 of the said rules,—

(1) in clause (i) of sub-rule (1), the words "or a part thereof" shall be omitted;

(2) in sub-rule (3), for the figures "180", the figures "240" shall be substituted.

4. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (2), the words "or a part theerof" shall be omitted.

5. After rule 15 of the said rules, the following shall be inserted, namely :—

"15A Notwithstanding anything contained in rules 4 to 15 of the said rules, the conditions of service and other perquisites avail-

able to the Chairman and Vice-Chairman of the Tamil Nadu Administrative Tribunal shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956."

[No. A-12018|2(ii)|89-AT]

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to amend the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988.

2. It is certified that this notification would have prospective effect and would not affect any Chairman, Vice-Chairman and Members of the Tamil Nadu Administrative Tribunal already in position.

Foot Note :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 756(E) dt. the 29-6-1988 in the Gazette of India.

सा. का. नि. 1048(अ) —केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 1989 है।

(2) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा), में नियम 3 के परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और जून, 1988 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् —

"परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की स्थिति में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा-निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है या कि जो पेंशन और या उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा-निवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार से सेवा-निवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन अथवा सेवा उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति फायदे, यदि कोई हों, की कुल रकम कम कर दी जाएगी, परन्तु इनमें से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले सेवा-निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन कम नहीं की जाएगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 6 में, —

(1) उप नियम (1) के खण्ड (1) में "या उसका कोई भाग" —शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

(2) उप नियम (3) में "180" संख्या के स्थान पर "240" संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी।

4. उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (2) में, "या उसका कोई भाग"—ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 15 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"15-क, उक्त नियमों के नियम 4 से 15 तक किसी बात के होते हुए भी मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष को सेवा शर्तें तथा उन्हें उपलब्ध अन्य परिलब्धियां वही होंगी जो कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियमावली, 1956 में उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों को अनुज्ञेय है।"

[सं. क. 12018/2(iii)/89-प्रशा. अधि.]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना का भविष्यलक्षी प्रभाव होगा और इसका मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में पहले से ही कार्यरत किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी :—ये मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 6-12-1986 को सा. का. नि. सं. 1253(ई) द्वारा प्रकाशित किए थे।

G.S.R. 1048(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1989.

(2) Save as otherwise expressly provided they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules) for the proviso to rule 3, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st June, 1988, namely :—

"Provided that in the case of an appointment as a Chairman, Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a Judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of

pension and or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension equivalent of service gratuity or employer's contribution to Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him".

3. In rule 6 of the said rules,—

(1) in clause (i) of sub-rule (1), the words "or a part thereof" shall be omitted;

(2) in sub-rule (3), for the figures "180", the figures "240" shall be substituted.

4. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (2) the words "or a part thereof" shall be omitted.

5. After rule 15 of the said rules, the following rule shall be inserted namely :—

"15A. Notwithstanding anything contained in rules 4 to 15 of the said rules, the conditions of service and other perquisites available to the Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956".

[No. A-12018|2(iii)|89-AT]

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to amend the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members, Rules, 1986.

2. It is certified that this notification would have prospective effect and would not affect any Chairman, Vice-Chairman and Members of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal already in position.

Foot Note :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 1253(E) dt. the 5-12-1986 in the Gazette of India.

सा. का. नि. 1049(अ) —केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली 1986 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 1989 है।

(2) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा), में नियम 3 के परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और जून, 1988 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा, अर्थात्—

"परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की स्थिति में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा-निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है या जो पेंशन और या उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा-निवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, उसके वेतन में से उस के द्वारा प्राप्त पेंशन अथवा सेवा उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई हों, की कुल रकम कम कर दी जाएगी, परन्तु इनमें से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले सेवा-निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन कम नहीं की जाएगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 6 में,——

(1) उप नियम (1) खण्ड (i) में "या उसका कोई भाग"—शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

(2) उप नियम (3) में "180" संख्या के स्थान पर "240" संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी।

4. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (2) में, "या उसका कोई भाग"—ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 15 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"15-क, उक्त नियमों के नियम 4 से 15 तक किसी बात के होते हुए भी कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष की सेवा शर्तें तथा उन्हें उपलब्ध अन्य परिलब्धियां वहीं होंगी जो कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियमावली, 1956 में उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों को अनुज्ञेय है।"

[सं. क 12018/2(iv)/89-प्रशा. अधि.]

श्रीमती पी. वी. वत्सला जी कुट्टी, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना का भविष्य लक्षी प्रभाव होगा और इसका कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण में पहले से ही कार्यरत किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी :— ये मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 17 सितम्बर, 1986 की सा. का. नि. सं. 1092(ई) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

G.S.R. 1049(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Govern-

ment hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members), Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal, (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1989.

(2) Save as otherwise expressly provided they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), for the proviso to rule 3, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of June, 1988, namely :—

"Provided that in the case of an appointment as a Chairman, Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension equivalent of service gratuity or employer's contribution to Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him".

3. In rule 6 of the said rules,—

(1) in clause (i) of sub-rule (1), the words "or a part thereof" shall be omitted;

(2) in sub rule (3), for the figures "180", the figures "240" shall be substituted.

4. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (2) the words "or a part thereof" shall be omitted.

5. After [illegible] said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"15A. Notwithstanding anything contained in rules 4 to 15 of the said rules, the conditions of service and other perquisities available to the Chairman and Vice-Chairman of the Karnataka Administrative Tribunal shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956".

[No. A-12018|2(iv)|89-AT]

Smt. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986.

2. It is certified that this notification would have prospective effect and would not affect any Chairman, Vice-Chairman and Members of the Karnataka Administrative Tribunal already in position.

Foot Note :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 1092(E) dated the 17-9-1986 in the Gazette of India.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1990